न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 112/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जमींoविo एवं भूoव्यo अधिo

1. लियाकत 2. शब्बीर 3. शहीद 4. इस्लाम 5. शमशाद पुत्रगण अली हसन, निवासीगण ग्राम ढकरानी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

बनाम

सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

.....उत्तरदाता

उपस्थित : श्री पीoएसoजंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री रमाकान्त रोहिला।

अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शासoअधिo(राo)।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–15/2006–07 राज्य सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट में पारित आदेश दिनांक 15–06–2007 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है:–

तहसीलदार, विकासनगर द्वारा वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–824 खसरा नम्बर 3333ख रकबा 0.2060 हैo मौजा ढकरानी, तहसील विकासनगर को गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को विक्रय करने की आख्या के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या– 15 वर्ष 2006–07 सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के क्रय विक्रय व हस्तान्तरण पर रोक लगाये जाने के आदेश दिनांक 15–06–2007 पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्व ही यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है, कि निगरानीकर्ता द्वारा गोल्डन फारेस्ट अथवा उसकी सहयोगी कम्पनी को कभी भूमि विक्रय नहीं की गई, कि उक्त आदेश किसी नियमित वाद में जारी नहीं किया गया है, कि न ही निगरानीकर्ता को कोई सूचना प्रेषित की गई, कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल जाकर बिना किसी क्षेत्राधिकार के अवैध प्रकिया अपनाते हुए पारित किया गया है, कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15–06–2007 तथा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही प्राड़ न्याय के सिद्वान्त से बाधित है तथा कालबाधित है एवं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना एवं संगत अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूक्ष्म में निगरानी के आधारों को ही अपनी बहस में दोहराया है। इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने तर्क दिया है कि चूँकि वादग्रस्त भूमि का संबंध गोल्डन फारेस्ट द्वारा क्रय की गई भूमि से है एवं इस कम्पनी से संबंधित सभी भूमि क्रय संबंधी प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30–06–2015 एवं आदेश दिनांक 01–01–2018 के अधीन कलेक्टर, देहरादून द्वारा ही निस्तारित किये जा रहे हैं अतः आलोच्य प्रकरण को भी उन्हें को संदर्भित किया जाना चाहिए। इस तर्क से निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत हैं।

आक्षेपित आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि के क्रय विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। तद्नुसार यह आदेश एक वादकालीन एवं अन्तर्वर्तीय आदेश है जिस वापस लेने एवं संशोधित व परिवर्तित किये जाने हेतु उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जा सकता है जो कि आलोच्य प्रकरण में निगरानीकर्तागण द्वारा नहीं किया गया है। किसी भी न्यायिक कार्यवाही में उचित प्रकरणों में न्यायहित में सक्षम न्यायालय को ऐसे अन्तर्वर्तीय एवं वादकालीन आदेश पारित करने, जिसे वह उचित समझे, पारित करने का विवेकाधिकार रहता है। ऐसे आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं होती है। तद्नुसार वर्तमान निगरानी समय पूर्व एवं अपोषणीय है एवं अस्वीकृत होने योग्य है।

चूँकि इस न्यायालय के पूर्व आदेश संख्या–2037/राज0परि0/2015, दिनांक 30–06–2015 एवं आदेश संख्या–172/2017–18, दिनांक 01–01–2018 द्वारा गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से संबंधित भूमि क्रय प्रकरणों का निस्तारण कलेक्टर, देहरादून द्वारा ही किया जाना है, अतः आलोच्य प्रकरण भी उन्हीं को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है। इस स्थिति से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण भी सहमत हैं।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है परन्तु आलोच्य प्रकरण विद्वान कलेक्टर, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। पक्षकार विद्वान कलेक्टर, देहरादून के समक्ष दिनांक 05–03–2018 को उपस्थित हैं। आदेश की एक–एक प्रति विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर एवं विद्वान कलेक्टर, देहरादून को प्रेषित की जाय। न्यायालय पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **08.02.2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।